बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०–पि०व०/पो०मै०छा०–36–15/2017– 328

प्रेषक,

के० सेंथिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी कुलपति, बिहार।

पटना, दिनांक– 22/5/26

विषयः–**"मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना"** के व्यापक प्रचार–प्रसार के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के अंदर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य योजनांतर्गत **"मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना"** का संचालन शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से किया जा रहा है।

2– छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्राओं को ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है। आवेदक को सर्वप्रथम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर One Time Registration की प्रक्रिया करने के उपरांत प्राप्त OTR संख्या को PMS Portal के माध्यम से आवेदन समर्पित किया जाएगा। OTR के लिए आवेदक Face Auth का उपयोग कर सकते हैं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है।

3– राज्य के अंदर अवस्थित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में संचालित कोर्सों में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (अधिकतम सीमा रु० 15,000/– के अंतर्गत) पाठ्यक्रम/कोर्स के अनुसार निम्नवत् देय हैः–

क्र० सं०	**कोर्स की विवरणी**	**छात्रवृत्ति की राशि की अधिकतम वार्षिक सीमा (देय शिक्षण शुल्क+अनिवार्य शुल्क या निम्न निर्धारित राशि, दोनों में जो न्यूनतम हो)**
1.	विभिन्न +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट कक्षा यथा–आई०ए०/आई०एस०सी० /आई०कॉम० एवं अन्य समकक्ष कोर्स	रु० 2000/–
2.	स्नातक स्तरीय कक्षा यथा–बी०ए०/बी० एस०सी०/ बी०कॉम० एवं अन्य समकक्ष कोर्स	रु० 5000/–
3.	स्नातकोत्तर कक्षा यथा–एम०ए०/एम०एस०सी० /एम० कॉम० एवं अन्य समकक्ष कोर्स	रु० 5000/–
4.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	रु० 5000/–
5.	त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम/पॉलिटेक्निक एवं समकक्ष कोर्स	रु० 10000/–
6.	व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान के अधीन संचालित कोर्स–इंजीनियरिंग/मेडिकल/ विधि/ प्रबंधन/कृषि एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	रु० 15000/–

राज्य के अंदर अवस्थित केन्द्रीय सरकारी संस्थानों तथा स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर निम्नरूपेण अनुमान्य देय हैः–

क्र० सं०	कोर्स की विवरणी (बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित संस्थान)	छात्रवृत्ति की राशि अधिकतम वार्षिक सीमा (देय शिक्षण शुल्क+अनिवार्य शुल्क या निम्न् निर्धारित राशि, दोनों में जो न्यूनतम हो)
1.	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई०आई०एम०), बोधगया	रु० 75000/-
2.	अन्य प्रबंधन संस्थान यथा-चन्द्रगुप्त प्रबंध, ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, आदि	रु० 400000/-
3.	भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आई०आई०टी०), पटना	रु० 200000/-
4.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान (एन०आई०टी०), पटना	रु० 125000/-
5.	अन्य केन्द्रीय संस्थानों यथा-राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (एन० आई० एफ० टी०), पटना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए० आई० आई० एम० एस०), पटना, केन्द्रीय कृषि संस्थान आदि।	रु० 100000/-
6.	स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	रु० 125000/-

4- इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक सहित माता-पिता, अभिभावक का अधिकतम कुल वार्षिक आय रु० 3,00,000/- (तीन लाख रुपए) मात्र से अधिक नहीं होना चाहिए।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि राज्य के पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक उत्थान एवं समावेशी विकास हेतु आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपने अधीनस्थ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/डिग्री कॉलेज/+2 विद्यालयों में उक्त योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने की कृपा की जाय, ताकि अधिक से अधिक छात्र/छात्राएँ इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

21/5/2024

(के० सेंथिल कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0/पो0मै0छा0-36-15/2017- 328 पटना, दिनांक- 22/5/26

प्रतिलिपि-सभी प्रधानाचार्य, महाविद्यालय/सभी प्रधानाध्यापक, +2 उच्च विद्यालय, बिहार को अपने महाविद्यालय एवं +2 उच्च विद्यालयों में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/5/2024

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-पि0व0/पो0मै0छा0-36-15/2017- 328 पटना, दिनांक- 22/5/26

प्रतिलिपि-मंत्री कोषांग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

21/5/2024

अपर मुख्य सचिव।